आपरेशन धरपकड़ के तहत गिरफ्तार किए गए 22 वारंटी

संसू, जागरण • श्रावस्ती: जिले के विभिन्न थानों की पुलिस टीम ने रविवार को वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए आपरेशन धरपकड़ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने 24 घंटे में 22 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी वारंटियों को न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया है।

एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम के नेतृत्व में वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान में हरदत्तनगर गिरंट थाने की पुलिस टीम ने जयपत्तरपुरवा निवासी वारंटी लालजी, मल्हीपुर पुलिस ने भुडकुलवा निवासी तीरथराम, शिकारी चौड़ा निवासी अलगू वर्मा, अकार निवासी नसरुद्दीन, लौकिया के छोटकऊ, इकौना पुलिस ने चयपुरवा निवासी नूर आलम, सोनवा पुलिस टीम ने धैसरा निवासी सेराज अहमद, शाहपुर कठौतिया निवासी नूर मुहम्मद उर्फ भूरे, भीखपुर दुलहिया के छांगुर, दिकौली के सदानंद, चंद्रख बुजुर्ग के सुखदेव, कमलेश, कंधई व सुरेश, गिलौला पुलिस टीम ने सावलपुरवा निवासी भुजऊ, भिनगा कोतवाली पुलिस टीम ने भरथा बेलभरिया निवासी सुरेंद्र, पतिझिया के अनीश, लबेदपुर के हनुमान प्रसाद, नौबस्ता के शिवपूजन, लालपुर अयोध्या के बजरंगीलाल, कोटिया के मालिकराम तथा सिरसिया पुलिस ने भरथाकला निवासी अब्दुल्ला उर्फ लड्डू को गिरफ्तार किया।

रु0 25000/- का इनामिया वांछित अभियुक्त इसराफिल खान अवैध तमंचा,02 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार

दैनिक अयोध्या टाइम्स

श्रावस्ती। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय मय पुलिस टीम द्वारा थाना मल्हीपुर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 231/2025 धारा 137(2),87,142, 64(2)(m), 89 BNS व 5(L)/ 6,5 (J)(II)/6 pocso एक्ट अभियोग में रु0 25000 का इनामिया वांछित अभियुक्त इसराफिल खान पुत्र मैकू खान निवासी बक्सी गांव थाना नवाबगंज जनपद बहराइच को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर थाना सिरसिया पर मु0अ0सं0 286/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती द्वारा रु0 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम इसराफिल खान पुत्र मैकू खान निवासी बक्सी गांव थाना नवाबगंज जनपद बहराइच बताया तथा तलाशी में इसराफिल के पास अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद व 1740 रूपए मिले जिसके संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 15 जुलाई 2025 को मल्हीपुर थाना में मेरे विरुद्ध लड़की भगाने व शरण देने का मुकदमा लिखा है, जिसके कारण मेरी दुश्मनी चल रही है अपने बचाव के लिए मै अपने पास तमंचा और कारतूस रखा हु उसके बाद थाना मल्हीपुर में उक्त प्रकरण की जानकारी ली गई तो पता चला कि इसराफिल उपरोक्त थाना मल्हीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2025 धारा 137(2),87,142, 64(2)(m), 89 BNS व 5(L)/ 6,5 (J)(II)/6 pocso एक्ट अभियोग में 25000 रु0 का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त है। अवैध शस्त्र की बरामदगी के संबंध मे थाना सिरसिया पर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त इसराफिल उपरोक्त को गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

10 हजार का इनामिया, अंतर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर शातिर चोर 1 अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 1 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार

श्रावस्ती 20 जुलाई (भि0टा0सं0)। थाना गिलौला की पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा बताया गया है कि थाना अध्यक्ष गिलौला विनय कुमार पाण्डेय ने हमराह पुलिसबल के साथ मु0अ0सं0 128/2020 धारा 457, 380, 411 भादवि' में वांछित चल रहे अभियुक्त 'पेशकार पासी पुत्र छोटे लाल पासी निवासी सावल पुरवा दा0 चौकशा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच' को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से '01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस' बरामद किया गया, बरामदगी के आधार पर 'थाना गिलौला पर मु0अ0सं0 174/25 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम' पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। 'सर्विलांस व थाना गिलौला पुलिस' द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पेशकार पासी पुत्र छोटे लाल पासी निवासी सावल पुरवा दा0 चौकशा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच को 'कमोलिया पुलिया के पास' गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्त 'हिस्ट्रीशीटर व शातिर किस्म का अपराधी' है जिसके विरूद्ध 'अन्य जनपदो में चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट व छक्कै एक्ट' आदि के विभिन्न अभियोगों में वांछित था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु 'पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती द्वारा 10 हजार रूपये का पुरष्कार घोषित' किया गया था। जिसे दिनांक '19.07.2025' को 'सर्विलांस व थाना गिलौला पुलिस की संयुक्त टीम' द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।